पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

निगरानी - 490/15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक -------/2015 रिवीजन निगरानी 490-II-15

भंवरलाल पुत्र श्री दौलतसिंह आयु 81 वर्ष व्यवसाय कृषि कार्य निवासी ग्राम बरोंदिया तहसील शमशादाबाद जिला विदिशा मध्यप्रदेश

---प्रार्थी/याचिकाकर्ता

श्री एच० के० अग्रवाल एड०
द्वारा आज दि. 9-3-15 को
प्रस्तुत
9-3-15
क्लेर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

H.K.Agarwal
9-3-2015
(H.K.Agarwal)
Advocate

बनाम

1. खूबसिंह पुत्र श्री भारतसिंह आयु 56 वर्ष
2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री खूबसिंह आयु 30 वर्ष
3. सरदारसिह पुत्र श्री भीकमसिंह आयु 60 वर्ष

समस्त निवासीगण ग्राम बरोंदिया तहसील शमशादाबाद जिला विदिशा मध्यप्रदेश

4. श्रीमती सुबोधनादेवी पत्नी श्री झगललाल आयु 20 वर्ष
5. अजयसिह उर्फ कृष्णपाल सिंह आयु 45 वर्ष पुत्र श्री भीकमसिंह
6. अनिलकुमार पुत्र श्री भंवरलाल आयु 20 वर्ष

समस्त निवासीगण ग्राम बरोंदिया तहसील शमशादाबाद जिला विदिशा मध्यप्रदेश

---प्रतिप्रार्थीगण/ प्रतियाचिकाकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.2.2015 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील शमशादाबाद जिला विदिशा प्रकरण कमांक 35/अपील/13-14 उनमान खूबसिंह आदि बनाम अजयसिंह में पारित किया गया।

माननीय न्यायालय

प्रार्थी/याचिकाकर्ता की निगरानी प्रार्थनापत्र निम्नप्रकार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, प्रार्थी/ रिवीजनकर्ता तथा प्रत्यर्थीगण का एक सम्मिलित कृषि खाता जो कि सर्वे नम्बर 48 रकबा 0.061 हेक्टर जो ग्राम बारोदिया तहसील शमशदाबाद जिला विदिशा में स्थित है, जिसमें कि याचिकाकर्ता ने तहसीलदार शमशदाबाद के आदेश दिनांक 6.9.2014

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-490-दो/15 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	